जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री जगदीश जिन्दल, द्वारा प्रस्तावित सेण्ड़स्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) खनन परियोजना प्लॉट संख्या 70/2022 (प्लॉट संख्या 70), खनन पट्टा क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 77,905 TPA (ROM) मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल 16.0 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504 TPA (ROM) निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव_आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई दिनांक 30/05/2025 समय दोपहर 12:00 बजे स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी का कार्यवाही विवरण :–

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानो की अनुपालना में श्रीमान जिला कलेक्टर बून्दी के पत्र संख्या 53 दिनांक 18/04/2025 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम में दिनांक 30/05/2025 समय दोपहर 12:00 बजे स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी राजस्थान में मैसर्स श्री जगदीश जिन्दल द्वारा प्रस्तावित सेण्ड़स्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) खनन परियोजना प्लॉट संख्या 70/2022 (प्लॉट संख्या 70), खनन पट्टा क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 77,905 TPA (ROM) मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल 16.0 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504 TPA (ROM) निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) बून्दी, जिला बून्दी, राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयी:–

1. श्री सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) बून्दी, जिला बून्दी
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी
3. श्री हर्षित शर्मा तहसीलदार तालेड़ा, जिला बून्दी

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण/क्षेत्रवासी/ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र "द इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 25/04/2025 और स्थानीय समाचार पत्र "जननायक" में दिनांक 25/04/2025 को आम सूचना निर्धारित जनसुनवाई से 30 दिन पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग सी0डी0/डी0वी0डी0 एवं फोटोग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

श्री सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी, जिला बून्दी की अनुमति से जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(सुदर्शन सिं० तोमर)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जनसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे ध्यान से सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत/अक्षेप/आपत्ति हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम, पिता जी का नाम, गाँव आदि बतावें साथ ही अपना सुझाव /शिकायत/आक्षेप/आपत्ति जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा इस जनसुनवाई की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव/शिकायत/अक्षेप/आपत्ति को कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण **(Minutes of Meeting)** बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप राज्य स्तर पर्यावरण समाद्यात निधारण प्राधिकरण **(SEIAA)** राजस्थान को अग्रिम कार्यवधि हेतु प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित सेण्ड़स्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात मैसर्स श्री जगदीश जिन्दल के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स कोगनिजेन्स रिसर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, के प्रतिनिधि कल्पिता व्यास ने प्रस्तावित सेण्ड़स्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी गयी जिसमें खनन परियोजना का परिचय देते हुए खनन पटटे की स्थिति/जगह, खनिज, खनन पट्टा क्षेत्र, उत्पादन क्षमता, क्लस्टर पट्टा क्षेत्रफल, कलस्टर की कुल उत्पादन क्षमता, क्लस्टर में आने वाली खनन पट्टों की जानकारी दी। उन्होंने परियोजना के क्लस्टर प्रमाण–पत्र, परियोजना का क्लस्टर नक्शा, क्लस्टर में आने वाली अन्य खनन ईकाइयों का विवरण, सीमांकन रिपोर्ट, खसरा नक्शा, कार्यालय खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान, खण्ड प्रथम बून्दी द्वारा जारी मंशा पत्र एवं खनन पटटा अनुमोदन आदेश, अनुमोदित माइनिंग प्लान, परियोजना का अरावली प्रमाण–पत्र, कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी द्वारा जारी पत्र, कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा द्वारा जारी पत्र, टोर प्रमाण–पत्र, समाचार पत्र विज्ञापन, क्लस्टर परियोजना का स्थान,क्लस्टर की गूगल तस्वीर, माइनिगं का तरीका, अध्ययन क्षेत्र का 10 किमी बफर नक्शा, संपर्कता जानकारी, क्लस्टर के चारो ओर का विवरण, खनन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, खनन क्षेत्र में जल की गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, जल की गुणवत्ता का प्रबंधन के उपाय, खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, वृक्षारोपण/हरित पट्टी का

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(सुदर्शन सिं० तोमर)
अति० जिला कलक्टर एवं
... जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

विकास, श्रमिकों के लिए बजट आवंटन, ईएमपी कार्यान्वयन/पर्यावरण संरक्षण के लिए किये जाने वाले कार्य आदि से सम्बधित जानकारी प्रदान की गई।

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने उपस्थित जनसमुदाय को आपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन–समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:–

1. **श्री भागीरथ मीणा पुत्र श्री घासी लाल ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी:–** द्वारा बताया गया कि खसरा संख्या 775 में वह खेती करते हैं। उक्त जमीन पर 30 साल से उनका कब्जा हैं।
2. **श्रीमति अनिता पत्नि श्री महावीर ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी:–** द्वारा बताया गया कि उनका सरकारी योजना में सरकारी पक्का आवास स्वीकृति होना था जोकि किसी व्यक्ति द्वारा अस्वीकृति करा दिया गया हैं। उन्होंने पीने के पानी की समस्या के बारे में बताया कि उनके घर मे जो पानी की टंकी के माध्यम से आता हैं वह पर्याप्त समय के लिए व पर्याप्त मात्रा मे नही आता है।

   परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार श्री निमिश सीधवी द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए परियोजन पुरे क्लस्टर में राशि रूपये–6 लाख का प्रावधान रखा गया हैं। तथा प्रथक रूप से इस खनन पटटे् के लिए रूपये पचास हजार खनन पटटे् का प्रावधान रखा गया हैं।

- **श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर** द्वारा उक्त खनन पटटे् हेतु पीने के पानी पर खर्च हेतु राशि रूपये पचास हजार को वर्तमान स्थिति को देखते हुए किये जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी चाही गयी।
- श्री निमिश सीधवी द्वारा बताया गया कि पुरे क्लस्टर द्वारा सम्मलित रूप से पानी की समस्या को दूर करने के लिए कार्य किये जाएगें।
- **श्री निमिश सीधवी** द्वारा टैकर के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में प्रस्ताव रखा
- **ग्रामीण महिलाओं** द्वारा बताया गया कि उनकी गली बहुत संकरी हैं जिसमें पानी का टैकर नही जा सकता हैं, तो पानी कैसे उपलब्ध होगा।
- **ग्रामीण महिलाओं** द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना प्रस्तावक वर्तमान में गाँव में उपलब्ध पीने के पानी के वितरण हेतु उपलब्ध संसाधनों को दुरूशत कराने में उनकी सहायता कर सकते हैं। जैसे कि वे वर्तमान में उपलब्ध बोरवेल की मोटर को रिपेयर करा सकते हैं।
- **श्री जगदीश जिन्दल** द्वारा आश्वस्त किया गया कि यदि गाँव मे नये बोरवेल की आवश्यकता है तो वह नया बोर वेल तैयार/खुदवाने के लिए तैयार हैं। यदि किसी बोरवेल की मोटर रिपेयर करानी है, तो वह उनके लिए भी तैयार हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(सुदर्शन सिं० तोमर)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

3. <u>श्री वेदलाल पुत्र श्री रामलाल ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दीः–</u> द्वारा पुछा गया कि सरकारी स्कूल व गाँव के विकास के लिए परियोजना प्रस्तावक ने जो वायदे प्रजेन्टेशन मे किये हैं, वह पुरे/कब होगें ?

- **श्री निमिश सीधवी** द्वारा आवगत कराया गया खनन पटट्े में उत्पादन शुरू होने के 6 माह की अवधि मे उक्त सभी कार्य पूर्ण कर दिये जाएगे एवं प्रति वर्ष प्रस्तवित बजट के अनुसार गाँव के विकास कार्य में खर्च किये जाएगें। इस फण्ड को ग्राम पंचायत की सहमति से खर्च किया जाएगा।
- **श्री वेद लाल** द्वारा पुछा गया कि परियोजना प्रस्तावक इस जनसुनवाई में किये गये वादो को पुरा नहीं करते हैं, तो क्या किया जाए ?
- **श्री निमिश सीधवी** ने अवगत कराया कि सरकार द्वारा ये प्रावधान किया गया हैं कि जो भी ये कार्य होगें। उसकी हर छः माह मे सक्षम अथारटी को अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित करनी होती हैं। यदि उक्त कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किये जाते हैं तो सक्षम अथारटी नियमानुसार कार्यवाही कर सकती हैं।
- **<u>श्री वेद लाल</u>** द्वारा पुछा गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा यदि उक्त कार्य /वादे पुरे नही किये जाते तो किससे सम्पर्क किया जाए ?
- **श्री निमिश सीधवी** ने अवगत कराया कि राज्य स्तर पर्यावरण समाद्यात निधारण प्राधिकरण (SEIAA) राजस्थान से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा परियोजना प्रस्तावक से पुछा गया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए क्या प्रावधान किये हैं। पत्थर को तोडने के लिए क्या विधि उपयोग में चलाई जाएगी। खनन में उपयोग की जाने वाली ब्लॉस्टिंग तकनीक की जानकारी चाही गयी तथा ब्लॉस्टिंग से उडने वाले पत्थर व धुल को कन्ट्रोल करने की जानकारी चाही गयी।

<u>श्री जगदीश जिन्दल ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दीः–</u> द्वारा अवगत कराया गया कि खनन पटट्े में काम करने वाले श्रमिकों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए Ear Plugs उपलब्ध कराये जाएगें। उन्होंने बताया कि वर्तमान मे भी वह अपनी अन्य खनन ईकाइयों में भी श्रमिकों को Ear Plugs उपलब्ध करा रहें हैं। अकोस्टिक ब्लास्टिग चेम्बर बनाया जाएगा जिससे ब्लास्ट करने वाले ऑपरेटर को ब्लॉस्टिंग की आवाज नही आती है। खनन के दौरान कन्ट्रोल्ड ब्लॉस्टिंग निधारित मानकों के अनुरूप की जाएगी जिससे बडे पत्थर अलग हो जायेगें जिन्हें फिर मशीन द्वारा छोटे पत्थरो में तोडा जाता हैं। ड्रील मशीन की सहायता से पत्थर मे छेद कर उसमें विस्फोटक भरा जाता हैं व नियंत्रित विस्फोटक किया जाता हैं। विस्फोटक के दौरान आवाज ज्यादा नही आती हैं। ब्लॉस्टिंग से उडने वाले छोटे पत्थर 100 मीटर से ज्यादा दूरी तक नही जाते हैं वे 100 मीटर के अन्दर ही गिर जाते हैं। धुल को नियंत्रित करने के लिए पानी छिड़काव किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

उक्त जनसुनवाई के दौरान/पहले/बाद इस परियोजना से सम्बधित कोई लिखित सुझाव/शिकायत/अक्षेप/आपत्ति प्राप्त नही हुई।

अन्त में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला महोदय की अनुमति से जन–सुनवाई की कार्यवाही सधान्यवाद समाप्त की गयी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षैत्रिय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बून्दी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बून्दी
जिला बून्दी

(सुदर्शन सि० तोमर)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति०जिला मजिस्ट्रेट. बून्दी

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी

संख्या - 53

दिनाँक 18 / 04 / 2005

आदेश

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी के पत्र कमांक RPCB/RO BUNDI/PUB-125/ 137 date 04-04-2025 से अवगत कराया कि आवेदक मैसर्स जगदीश जिंदल एण्ड कम्पनी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सैण्डस्टोन एण्ड मेसेनरी स्टोन की पर्यावरणीय मंजूरी हेतु सार्वजनिक सुनवाई के लिए सैण्डस्टोन एण्ड मेसेनरी स्टोन कलस्टर प्रोजेक्ट एरिया 16.0 हैक्टेयर है। एम0एल0 संख्या 70/2022 (खसरा संख्या 70) रकबा 1.00 हैक्टेयर प्रस्तावित क्षमता 77905.0 टीपीए है, कुल कलस्टर में खसरा संख्या 70,69,79,80,73,72,83,76,58,87,59,93,66,67,81, व 88 क्षमता 18,54,504,00 टीपीए गांव धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। के संबंध में भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के सन्दर्भ में परियोजनाओं के लिए जनसुनवाई आवश्यक बताते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जनसुनवाई रखने हेतु जिला कलक्टर या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधी नियुक्त करते हुये कम से कम 40 दिवस का समय (तिथि) का मार्जिन रखने व सुनवाई हेतु स्थल निर्धारित रखने हेतु निवेदन किया है।

अतः पर्यावरणीय आपत्ति/अनापत्ति बाबत जनसुनवाई करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) को जिला कलक्टर का प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है तथा साथ ही तहसील एवं पंचायत समिति तालेडा(बून्दी) के राजीव गांधी सेवा केन्द्र, धनेश्वर पर दिनांक 30.05.2025 को समय 12.00 पी0एम0 सुनवाई हेतु स्थान व समय निर्धारित किया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी EIA के अनुसार गजट में प्रकाशन करवाकर आपत्तियाँ प्राप्त कर जनसुनवाई का नियमानुसार प्रचार-प्रसार करने की कार्यवाही करेगें।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमाँक – प.12–12(01)राजस्व/2025/2983-91

दिनाँक 18/04/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद,बून्दी
2. अति0 जिला कलक्टर,बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी,तालेडा
4. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,बून्दी
5. विकास अधिकारी,पंचायत समिति तालेडा/तहसीलदार,तालेडा
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धनेश्वर पंचायत समिति तालेडा
7. मैसर्स जगदीश जिंदल एण्ड कम्पनी, ए 137, श्रीनाथपुरम जिला कोटा
8. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,बून्दी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी (राज.)
प्राप्ति क्रमांक 61 दिनांक 21/4/25

conversion,2022

Document certified by AKSHAY GODARA <dm-bun-rj@nic.in>
Digitally Signed by AKSHAY GODARA
Designation : Collector & District Magistrate
Date :18-04-2025 12:06:26

iKai Ref No : 14808915

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक : ब

मैसर्स जगदीश जिन्दल एण्ड़ कम्पनी, प्लॉट संख्या 70/2022 (प्लॉट संख्या 70), निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी, क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता 77,905.00 TPA (ROM), मय क्लस्टर कुल क्षेत्रफल 16.0 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504.0 TPA (ROM) की पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई में दिनांक 30.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे उपस्थित अधिकारी, जन प्रतिनिधि एवं नागरिको का उपस्थिति पत्रकः–

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Sudershan Singh Tomar	ADM, Bundi	[signature]
2.	Shiv Kumar	R.O. RSPCB, Bundi	[signature]
3.	Harshit Sharma	TDR TALERA	[signature]
4.	Arpita Chada	Patwari Dhaneshwar	[signature]
5.	Gaurav Kumar Pareta	Ganeshganj Th. PIPLDA	[signature]
6	Ronak Pareta	Dhaneshwar	Ronak
7	[illegible]	Dhaneshwar	[signature]
8	[illegible]	धनेश्वर	[signature]
9	[illegible]	धनेश्वर	[signature]
10	सोहन भील	धनेश्वर	[thumb impression]
11	सूरज सुमन	धुलेट	
12			[thumb impression]
13	चेतन	धनेश्वर	[signature]
14	लालाजी	धनेश्वर	[thumb impression]
15	[illegible] पारेता	धनेश्वर	[signature]
16	[illegible]	S/ [illegible]	[signature]
17	Deepika Nawar	LDC GP Dhaneshwar	[signature]
18	Anurag Meena	I.L.R. Dhaneshwar	[signature]
19	Nimish Singhvi	Consultant	[signature]
20	Kalpita Vya	Cognizance Research India Pvt. Ltd	Kalpita
21	Anita	" — "	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
22	सुंजा S.n. बन्जा	धनेश्वर	
23	राजेन्द्र	धनेश्वर	राजेन्द्र
24	बालू	धनेश्वर	[illegible]
25	कंचन बाई	धनेश्वर	
26	भरोसी बाई	धनेश्वर	
27	भवानी बाई	धनेश्वर	
28	मूर्ति जी	धनेश्वर	
29	भवानी बाई	धनेश्वर [illegible]	
30	सुनिता	धनेश्वर	
31	अनिता	धनेश्वर	अनीता
32	इन्द्रा	धनेश्वर	इन्द्रा
33	रामकुंवर बाई	धनेश्वर	
34	बच्ची बाई	धनेश्वर	बच्ची
35	सुमित्रा जी	धनेश्वर	सुमित्रा
36	इन्द्रा बाई	धनेश्वर	इन्द्रा बाई
37	शान्ति प्रभु	धनेश्वर	
38	मूली बाई	धनेश्वर	[illegible]
39	काली बाई	धनेश्वर	काली
40	बूली बाई	धनेश्वर	
41	कन्या जी	धनेश्वर	
42	भवानी जी	धनेश्वर	भवानी
43	मीना जी	धनेश्वर	मीना
44	सीता	धनेश्वर	
45	बिमला	धनेश्वर	
46	दुर्गी बाई	धनेश्वर	
47	सम्पती बाई	धनेश्वर	सम्पती

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
48	कमली बाई	धनेश्वर	
49	रतन बाई	धनेश्वर	रतनबाई
50	कमलेश हेल्पर	(साथिन) धनेश्वर	कमलेश
51	[illegible]	अनन्तपुरा कोटा	[illegible]
52	सुनिता जी	धनेश्वर	सुनिता
53	[illegible]	कोप	[illegible]
54	प्रसन्न जैन	कोटा	[illegible]
55	सुरेश गोस्वामी	डाबी	Suresh
56	अनिल जैन	डाबी	[illegible]
57	रामलाल जी	धनेश्वर	रामलाल
58	महेश कालोटी	कोटा 9680841413	महेश
59	रामाबाई	धनेश्वर	रामु
60	सीता बाई	धनेश्वर	सीता
61	शांकरी बाई	धनेश्वर	
62	Dileep Kumar Meena	JEE, RSPCB, Bundi	Dileep
63			
64			
65			
66			
67			
68			

ंत निरंकारी हेल्थ सिटी की मेडिकल डाइरेक्टर ा दुग्गल ने बताया कि आज सम्पूर्ण भारतवर्ष में ग 30,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। गुमानपुरा नरंकारी सत्संग भवन कोटा में 108 यूनिट एवं कोटा में 400 यूनिट ब्लड डोनेशन किया गया। थैलेसीमिया के लिए इस अवसर पर कोटा जोन के जोनल इंचार्ज ृजराज सिंह यादव ने कहा कि रक्तदान परोपकार की है। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश बिरला, यक संदीप शर्मा, एडीएम मुकेश कुमार चौधरी, नगर आयुक्त अशोक कुमार त्यागी, मेडिकल कॉलेज नल डॉ संगीता सक्सेना, रेलवे डीआरएम के जनल मैनेजर आशीष रावलानी, वरिष्ठ नेता पंकज , युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अजय चौधरी, संत र परनामी समाजसेवक भुवनेश गुप्ता संत से र्वाद प्राप्त किया।

द को कांग्रेस का भी समर्थन

कोटा। राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की महासचिव एवं राजस्थान महिला कॉंग्रेस की अध्यक्ष राखी गौतम ने पहलगाम, जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के विरोध में कोटा बंद करने के आह्वान का पूर्व रूप से कॉंग्रेस पार्टी के

कर्ताओं के साथ समर्थन दिया। गौतम ने कहा कि कोटा शहर की कॉंग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बंद का पूर्ण रूप से समर्थन देकर कोटा में जहां जहाँ ने खुली मिलेगी, उसे बंद करवायेंगे।

विधायक गुंजल ने किया बंद का समर्थन

कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने गाम, जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध ोटा बंद के आव्हान का समर्थन किया है। गुंजल ने स कार्यकर्ताओ से कोटा बंद को पूर्ण रूप से सफल ने में सहयोग का आह्वान किया। गुंजल ने कहा कि किियों की ये हरकत कायरता पूर्ण है। इस कायराना े का शिकार हुए लोगों के प्रति पूरे देश की संवेदनाए उन्होंने कहा कि सरकार को शीघ्र ही कठोर निर्णय लेते इसका जवाब देना चाहिए।

वसेना भी करेगी बंद का समर्थन

जवाहर नगर स्थित शिवसेना भवन पर शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी ने तत्काल बैठक बुलाकर पार्टी की रेखा और रणनीति पर कार्य करते हुए शिवसेना के ष्ठ नेता सुखदेव सिंह शिवसेना के राजस्थान के पूर्व ा अध्यक्ष प्रमोद चतुर्वेदी ने कहा कि हिंदुओं पर हुए ाराना हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किस्तान द्वारा जो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार और म किया जा रहे हैं इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया ागा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन स्वीकृत किया ाएगा। कोटा बंद का समर्थन किया जाएगा।

भौतिक व ऑनलाईन बिक्री वीसीपी ब्रान्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन अन्तर्गत दिशा-निर्देशानुसार तेल निष्कर्षण, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विस्तृत प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित हैं।

मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन

नैनवां। उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य स्टाफ द्वारा नर्सेज यूनियन, लैब तकनीशियन यूनियन एवं रेडियोग्राफर मेंटेन यूनियन नैनवां के तत्वावधान में चिकित्साधिकारी डॉ. कृष्णकुमार को ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में सभी कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बकाया वर्दी भत्ते एवं समर्पित अवकाश भुगतान नहीं होने तथा 9 वर्षीय सेवा पूर्ण कर चुके नर्सिंग स्टाफ के एसीपी प्रकरण भी नहीं भेजे जाने पर रोष प्रकट कर बताया कि जल्द ही उक्त समस्याओं का समाधान नहीं होने पर कार्य बहिष्कार के लिए विवश होना पड़ेगा। ज्ञापन देने में सभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहा।

बिजली बंद रहेगी

इटावा। विद्युत विभाग सहायक अभियंता इटावा संदीप जैन ने बताया कि 33 केवी फीडर सीसवाली लाइन के मेंटेनेंस के कारण 25 अप्रेल को सुबह 8 से 11 बजे तक 33 केवी फीडर के बिनायका जीएसएस से जुड़े हुए 11 केवी फीडर गणेशगंज, नालावता, कालीसिंध, विनायका से जुड़े गांवों की सप्लाई बंद रहेगी।

बिजली बंद रहेगी

कोटा। विद्युत लाइनों के रखरखाव के कारण शुक्रवार को निम्न स्थानों पर बिजली बंद रहेगी।

सुबह 8:30 से दोपहर 12:00 बजे तक- रिद्धि सिद्धि कॉलोनी भदाना, तलवंडी सेक्टर बी और सी आदि।

सुबह 10:00 से दोपहर 12:00 बजे तक- सदाबहार कॉलोनी और मनोज चौराहा स्टेशन मुख्य सड़क के पास का क्षेत्र आदि।

सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक- ढोलामारू होटल, गुरुधाम कॉलोनी, अलकनंदा कॉलोनी, लव कुश अस्पताल, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, गणेशपाल, यशोदा पैलेस, अलकनंदा एन्क्लेव, केशव नगर, तबेला हाउस के पास, पशु चिकित्सालय के पास, मोखापाड़ा आदि।

दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक - इंद्र विहार, तलवंडी सेक्टर ए आदि।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-137/164 Date : 21.04.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स जगदीश जिन्दल एण्ड कम्पनी प्लॉट संख्या 70/2022 (प्लॉट संख्या 70) मय कलस्टर निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं खण्डा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स जगदीश जिन्दल एण्ड कम्पनी**, प्लॉट संख्या 70/2022 (प्लॉट संख्या 70), खनन क्षेत्र 1.0 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 77,905.00 TPA मय कुल कलस्टर क्षेत्र 16.0 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504.00 TPA निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी सेण्डस्टोन एव खण्डा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना बाबत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण सघात निर्धारण प्राधिकरण प्राधिकरण / राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि, **मैसर्स जगदीश जिन्दल एण्ड कम्पनी**, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण मे लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

(i) कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी
(ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला बून्दी
(iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला बून्दी
(iv) ग्राम पंचायत, धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
(v) उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी
(vi) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
(vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
(viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
(ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी
(x) कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला बून्दी

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 18.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 30.05.2025 (शुक्रवार)** को **स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में समय प्रात: 12:00 बजे** उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय
(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बूंदी

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-136/157 Date : 21.04.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स पारेता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्लॉट संख्या 67/2022 (प्लॉट संख्या 67) मय कलस्टर निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं खण्डा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स पारेता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी**, प्लॉट संख्या 67/2022 (प्लॉट संख्या 67), खनन क्षेत्र 1.0 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1,18,996.00 TPA मय कुल कलस्टर क्षेत्र 16.0 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504.00 TPA निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी सेण्डस्टोन एवं खण्डा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना बाबत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण सघात निर्धारण प्राधिकरण प्राधिकरण / राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि, **मैसर्स पारेता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी**, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

(i) कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी
(ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला बून्दी
(iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला बून्दी
(iv) ग्राम पंचायत, धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
(v) उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी
(vi) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
(vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण माण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
(viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
(ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी
(x) कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला बून्दी

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 54 दिनांक 18.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 30.05.2025 (शुक्रवार)** को **स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में समय प्रात: 11:30 बजे** उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय
(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बूंदी

Chaksu, Jaipur in the name of Smt Shashi Gothwal measuring 1250 sq mtr.

Date : 23.04.2025, Place : Jaipur — Authorised Officer, State Bank of India

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-137/164 — Date : 21.04.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स जगदीश जिन्दल एण्ड कम्पनी प्लॉट संख्या 70/2022 (प्लॉट संख्या 70) मय कलस्टर निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स जगदीश जिन्दल एण्ड कम्पनी**, प्लॉट संख्या 70/2022 (प्लॉट संख्या 70), खनन क्षेत्र 1.0 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 77,905.00 TPA मय कुल कलस्टर क्षेत्र 16.0 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504.00 TPA निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी सेण्डस्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण प्राधिकरण / राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि, **मैसर्स जगदीश जिन्दल एण्ड कम्पनी,** द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

(i) कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी
(ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला बून्दी
(iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला बून्दी
(iv) ग्राम पंचायत, धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
(v) उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी
(vi) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
(vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
(viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
(ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी
(x) कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला बून्दी

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 18.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 30.05.2025 (शुक्रवार)** को **स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में समय प्रात: 12:00 बजे** उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय
(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बूंदी

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-136/157 — Date : 21.04.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स पारेता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्लॉट संख्या 67/2022 (प्लॉट संख्या 67) मय कलस्टर निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स पारेता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,** प्लॉट संख्या 67/2022 (प्लॉट संख्या 67), खनन क्षेत्र 1.0 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1,18,996.00 TPA मय कुल कलस्टर क्षेत्र 16.0 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504.00 TPA निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी सेण्डस्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण प्राधिकरण / राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि, **मैसर्स पारेता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,** द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

(i) कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी
(ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला बून्दी
(iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला बून्दी
(iv) ग्राम पंचायत, धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
(v) उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी
(vi) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
(vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
(viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
(ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी
(x) कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला बून्दी

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 54 दिनांक 18.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 30.05.2025 (शुक्रवार)** को **स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में समय प्रात: 11:30 बजे** उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय
(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बूंदी

W/o Late Ratan Lal Sharma ii. Mr. Jitendra Kumar Sharma S/o Late Ratan Lal Sharma (Borrower) 2. Mrs. Usha Devi (Co Borrower) Mr. Jitendra Kumar Sharma (Co Borrower)	as on 01/06/2024	Total Outstanding as On Date 01/06/2024 Rs. 19,62,687/-	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 4,09,000/-	23rd May, 2
	Bid Increase Amount Rs. 10,000/-			Date/Tim 25th 1100hr
Description of the Immovable Property/Secured Asset- All that part and parcel of the property situated at Plot No. 75, Brahman Mohalla, G… Road, Jaipur (Raj.) Admeasuring Area 85.21 Sq. Mtrs. Bounded By – North: Plot No. 74, South: Open Land and Road, East: Open Land, West…				
Details of encumbrance over the property, as known to the Hinduja Housing Finance – Nil **Mode Of Payment:-** All payment shall be made by demand draft in favour of Hinduja Housing Finance Limited payable at Jaipur.				
Loan Account No. RJ/CHR/CHRU/A000000079 1. Mr. Amar Chand (Borrower) 2. Mrs. Sharda Devi (Co- Borrower)	22/08/2024 And Rs. 9,61,725/- as on 01/08/2024	11/12/2024 Symbolic Possession	Rs. 14,31,000/-	11/ 1100 hr EMD Depo 23rd May, 2
Description of the Immovable Property/Secured Asset- All that part and parcel of the property situated at Patta No. 085, Village Malsisar, Gram Panchayat Malsisar, Panchayat Samiti Alsisar, District Jhunjhunu (Raj.) Admeasuring Area 138.09 Sq. Yards. Bounded by: North: Way of House, South: Jugal Dhobi, East: Aam Rasta, West: House of Smt. Manju Devi W/o Indra Chand	Bid Increase Amount Rs. 10,000/-	Total Outstanding as On Date 01/08/2024 Rs. 9,61,725/-	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,43,100/-	Date/Time 25th 1100hr
Details of encumbrance over the property, as known to the Hinduja Housing Finance – Nil **Mode Of Payment:-** All payment shall be made by demand draft in favour of Hinduja Housing Finance Limited payable at Jaipur.				
Loan Account No. RJ/JPR/GPLR/A000000180 1. Mr. Satya Singh S/o Phoolaram (Borrower) 2. Mrs. Sunita Devi W/o Satya Singh (Co Borrower)	17/08/2024 And Rs. 9,18,794/- as on 01/07/2024	27/11/2024 Symbolic Possession	Rs. 13,39,000/-	12/ 1100 hr EMD Depos 23rd May, 2
Description of the Immovable Property/Secured Asset- All that part and parcel of the property situated at Patta No. 01, Book No. 02, Village Jhalra, Gram Panchayat Dayal ki Nangal, Panchayat Samiti Neem ka Thana, District Sikar (Raj.) Admeasuring Area 213.88 Sq. Yards. Bounded by: North: House of Mr. Shishram S/o Mr. Ramswaroop, South: House of Mr. Rajesh S/o Mr. Singaram, East: Self Rasta, West: House of Mr. Hawa Singh S/o Mr. Mangnaram.	Bid Increase Amount Rs. 10,000/-	Total Outstanding as On Date 01/07/2024 Rs. 9,18,794/-	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,33,900/-	Date/Time 25th 1100hrs
Details of encumbrance over the property, as known to the Hinduja Housing Finance – Nil **Mode Of Payment:-** All payment shall be made by demand draft in favour of Hinduja Housing Finance Limited payable at Jaipur.				
Loan Account No. RJ/JPR/GPLR/A000000165 1. Mr. Vijay Chawla S/o Damodar Chawla (Borrower) 2. Mrs. Aanchi Devi W/o Damodar Chawla (Co Borrower)	20/08/2024 And Rs. 29,15,290/- as on 24/07/2024	23/11/2024 Symbolic Possession	Rs. 53,51,000/-	12/0 1100 hrs EMD Deposi 23rd May, 20
Description of the Immovable Property/Secured Asset- All that part and parcel of the property situated at Plot/Survey No. B-259-A, Ward No. 56, Laxminarayan Puri, Hida Ki Mori, Jaipur (Raj.) Admeasuring Area 97.78 Sq. Yards. Bounded by: North: (Neighbour) Mohan Lal, South: Road 9.5 Mtr. Wide, East: (Neighbour) Babu Lal, West: Rasta.	Bid Increase Amount Rs. 10,000/-	Total Outstanding as On Date 24/07/2024 Rs. 29,15,290/-	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 5,35,100/-	Date/Time 25th M 1100hrs-
Details of encumbrance over the property, as known to the Hinduja Housing Finance – Nil **Mode Of Payment:-** All payment shall be made by demand draft in favour of Hinduja Housing Finance Limited payable at Jaipur.				
Loan Account No. RJ/JPR/GPLR/A000000429 1. Mr. Vikram Kumar (Borrower) 2. Mrs. Gita Devi (Co Borrower)	16/09/2024 And Rs. 15,23,578/- as on 01/09/2024	30/01/2025 Symbolic Possession	Rs. 12,68,000/-	11/05 1100 hrs EMD Deposi 23rd May, 202
Description of the Immovable Property/Secured Asset- All that part and parcel of the property situated at Flat No. S2, Second Floor (Without Roof Rights), S.B. Heights, Plot No. H-44, Scheme Manglam City Extension, Gram Pithawas & Niwaru (Hathoj), Kalwar Road, Tehsil & District Jaipur (Raj.) Admeasuring 688.22 Sq. Ft.	Bid Increase Amount Rs. 10,000/-	Total Outstanding as On Date 01/09/2024 Rs. 15,23,578/-	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,26,800/-	Date/Time c 25th Ma 1100hrs-
Details of encumbrance over the property, as known to the Hinduja Housing Finance – Nil **Mode Of Payment:-** All payment shall be made by demand draft in favour of Hinduja Housing Finance Limited payable at Jaipur.				
Loan Account No. RJ/CHR/SDLP/A000000184 1. Mr. Ejaj Khan (Borrower) 2. Mrs. Asmin (Co Borrower)	27/09/2024 And Rs. 8,36,090/- as on 01/09/2024	28/01/2025 Symbolic Possession	Rs. 12,24,000/-	11/05 1100 hrs EMD Deposit 23rd May, 202
Description of the Immovable Property/Secured Asset- All that part and parcel of the property situated at Patta No. 402, Ward No. 25, Mohalla Dhiru Khan ki Dhani, Village Rajgarh, Tehsil & District Churu (Raj.) Admeasuring Area 81.24 Sq. Mtrs. Bounded By – North: Kariman, South: Manjoor Khan, East: Nathu Khan Tailor, West: Rasta	Bid Increase Amount Rs. 10,000/-	Total Outstanding as On Date 01/09/2024 Rs. 8,36,090/-	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,22,400/-	Date/Time o 25th Ma 1100hrs-1
Details of encumbrance over the property, as known to the Hinduja Housing Finance – Nil **Mode Of Payment:-** All payment shall be made by demand draft in favour of Hinduja Housing Finance Limited payable at Jaipur.				
Loan Account No. RJ/SKR/SIKR/A000000170 & CO/CPC/CPOF/A000002311, 1. Mr. Suresh Kumar Raigar (Borrower) 2. Mrs. Lalita Devi (Co Borrower)	27/09/2024 And Rs. 6,82,319/- as on 01/09/2024	27/01/2025 Symbolic Possession	Rs. 9,81,000/-	12/05/ 1100 hrs - EMD Depositi 23rd May, 2025
Description of the Immovable Property/Secured Asset- All that part and parcel of the property situated at Plot No. 31, Part of Khasra No. 519, Village Ramgarh, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar (Raj.) Admeasuring Area 116.66 Sq. Yards. Bounded By – North: Plot No. 32, South: Plot No. 30, East: Plot No. 46, West: Rasta 20 Ft. wide	Bid Increase Amount Rs. 10,000/-	Total Outstanding as On Date 01/09/2024 Rs. 6,82,319/-	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 98,100/-	Date/Time of 25th May 1100hrs-1
Details of encumbrance over the property, as known to the Hinduja Housing Finance – Nil **Mode Of Payment:-** All payment shall be made by demand draft in favour of Hinduja Housing Finance Limited payable at Jaipur.				
Loan Account No. RJ/JPR/GPLR/A000000115 1. Mr. Laxman Singh Nathawat (Borrower) 2. Mrs. Devi Kanwar (Co Borrower) 3. Mr. Bhavar Singh (Co Borrower)	15/10/2024 And Rs. 10,27,226/- as on 01/10/2024	27/01/2025 Symbolic Possession	Rs. 47,33,000/-	11/05/ 1100 hrs - EMD Depositi 23rd May, 2025
Description of the Immovable Property/Secured Asset- All that part and parcel of the property situated at Plot No. 283, Scheme J. P. Colony, Behind C.I.D., Opposite Jalmahal, Amer Road, Jaipur (Raj.) Admeasuring Area 175.77 Sq. Yards. Bounded By – North: Other Land, South: Other Land, East: Road 30 Ft., West: Other Land	Bid Increase Amount Rs. 10,000/-	Total Outstanding as On Date 01/10/2024 Rs. 10,27,226/-	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 4,73,300/-	Date/Time of 25th May 1100hrs-1
Details of encumbrance over the property, as known to the Hinduja Housing Finance – Nil **Mode Of Payment:-** All payment shall be made by demand draft in favour of Hinduja Housing Finance Limited payable at Jaipur.				
Loan Account No. RJ/CHR/CHRU/A000000028 1. Mr. Rajendra Lok Ram (Borrower) 2. Mrs. Roshani Roshani (Co Borrower)	16/10/2024 And Rs. 7,32,533/- as on 01/10/2024	07/02/2025 Symbolic Possession	Rs. 12,64,000/-	11/05/ 1100 hrs - EMD Depositi 23rd May, 2025
Description of the Immovable Property/Secured Asset- All that part and parcel of the property situated at Patta No. 25, Village Bhabhreend, Gram Panchayat Bhainsli, Panchayat Samiti Rajgarh, District Churu (Raj.) Admeasuring Area 276.77 Sq. Mtrs. Bounded by: North: Aam Rasta, South: Kheda of Mohanram, East: Aam Rasta, West: Daleep/Nanad	Bid Increase Amount Rs. 10,000/-	Total Outstanding as On Date 01/10/2024 Rs. 7,32,533/-	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,26,400/-	Date/Time o 25th Ma 1100hrs-1
Details of encumbrance over the property, as known to the Hinduja Housing Finance – Nil **Mode Of Payment:-** All payment shall be made by demand draft in favour of Hinduja Housing Finance Limited payable at Jaipur.				

Special Instructions/Caution: Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Hi… Finance Limited nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the… cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives su… power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction suc…

Place: Jaipur Date 25.04.2025 — **For Hinduja Housing Finance Limited, Auth…**